

धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। बाद  
जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को प्रार्थना  
पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे  
पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक .....  
24.9.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला

24.9.19

पत्रावली पैरा 531 प्राथमिकी और से अधिवक्ता लीलाकुमारी  
अप्रीत्यत। विपक्षी अधिवक्ता तल्लीलदार डूंगला से जवाब  
माप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। तल्लीलदार  
डूंगला से प्राप्त जवाब के अनुसार प्राथमिकी के नाम  
जाम सेमलिया व लोदियागा में स्थित कृषि अप्राजियत  
की जमीन में ~~सबसे~~ प्राथमिकी के नाम में भिन्नता पाई जाने  
से राजस्व रेकर्ड में समाप्त रूप से एक ही नाम  
भवनीलाल मिठा मेनलाल दर्ज किये जाने की  
अनुमोदना की है। प्राथमिकी द्वारा उक्त जमीन  
पर नवल जमावरी एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन  
किया गया बाहजांच अवलोकन जाम सेमलिया के खसरा  
सं. 129 व जाम लोदियागा के खसरा सं. 131, 132 में  
वर्णित नाम में शुद्धि करते हुए भवनीलाल दर्ज किया  
जाना उचित है। अतः तल्लीलदार डूंगला के नाम  
अदेशा पृथक से जारी हो। पत्रावली फेरलल शुभा  
देकल नवल सेमलिया